थाना उघैती पुलिस की प्रभावी पैरवी से लूट के अभियोग में संलिप्त एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय श्रीमान ADJ5 कोर्ट बदायूँ द्वारा 5 वर्ष 6 माह का कारावास एवं 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनाँक 25-03-2013 को घटित लूट की घटना में वादी श्री कृष्ण अवतार उर्फ चौधरी पुत्र अशर्फीलाल निवासी मोहकमपुर थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना उघैती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/13 धारा 392 भादवि बनाम तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक श्री ऐ.के. सिंह द्वारा की गयी। जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में राजीव पुत्र दिसंबर वर्मा निवासी मोहल्ला किला खेड़ा कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूं आदि तीन नंफर के नाम प्रकाश में आए तथा विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। अभियोग को अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना उघैती का0 576 जयप्रकाश द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 22-09-2023 को माननीय न्यायालय श्रीमान ADJ5 कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 392/411 के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 392/411 भादवि के आरोप में 5 वर्ष 6 माह कारावास की सजा एवं 1000/- रु के अर्थदण्ड अदा न करने के कारण दो माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।